कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 208/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 01.06.2026

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में जहानागंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नामजद सभी अभियुक्त गिरफ्तार

दर्ज मुकदमे में त्वरित कार्रवाई, 24 घंटे के भीतर 06 आरोपी भेजे गए जेल

पूर्व की घटना- दिनांक 31.05.26 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना जहानागंज पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 1.राजेश कुमार पुत्र अज्ञात ग्राम पखनपुर थाना जैतपुर अंबेडकर नगर, 2. आतिश कुमार पुत्र अशोक कुमार, 3. करन कुमार पुत्र जयराम, 4. विकास कुमार पुत्र विनोद राम साकिनान दिलमनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 5.साहिल कुमार पुत्र प्रदीप कुमार, 6.अंकित कुमार पुत्र प्रमोद निवासी गण ग्राम बड़ौराखुर्द थाना जहानागंज आजमगढ़ ने वादिनी की पुत्री के साथ जबरजस्ती दुष्कर्म किया तथा शोर मचाने पर जान माल की धमकी देने लगे जिसके सम्बन्ध में थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 120/26 धारा 70(1)/351(3) BNS बनाम 1.राजेश कुमार पुत्र अज्ञात ग्राम पखनपुर थाना जैतपुर अंबेडकर नगर 2. आतिश कुमार पुत्र अशोक कुमार, 3. करन कुमार पुत्र जयराम, 4. विकास कुमार पुत्र विनोद राम साकिनान दिलमनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 5.साहिल कुमार पुत्र प्रदीप कुमार, 6.अंकित कुमार पुत्र प्रमोद निवासी गण ग्राम बड़ौराखुर्द थाना जहानागंज आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 01.06.26 को थानाध्यक्ष जहानागंज मय हमराह व चौकी प्रभारी चक्रपानपुर मय हमराह द्वारा नयनपुर मोड़ से अभियुक्तों 1. आजाद पुत्र राजेश कुमार ग्राम पखनपुर थाना जैतपुर अंबेडकर नगर उम्र करीब 21 वर्ष 2. अतिश कुमार पुत्र अशोक कुमार उम्र करीब 22 वर्ष, 3. करन कुमार पुत्र जयराम उम्र करीब 20 वर्ष, 4. विकास कुमार पुत्र विनोद राम उम्र करीब 18 वर्ष साकिनान दिलमनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 5.साहिल कुमार पुत्र प्रदीप कुमार उम्र करीब 20 वर्ष, 6.अंकित कुमार पुत्र प्रमोद उम्र करीब 18 वर्ष निवासी गण ग्राम बड़ौराखुर्द थाना जहानागंज आजमगढ़ को समय करीब 05:20 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 120/26 धारा 70(1), 351(3) बीएनएस थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आजाद पुत्र राजेश कुमार ग्राम पखनपुर थाना जैतपुर अंबेडकर नगर उम्र करीब 21 वर्ष।
2. अतिश कुमार पुत्र अशोक कुमार उम्र करीब 22 वर्ष।
3. करन कुमार पुत्र जयराम उम्र करीब 20 वर्ष।
4. विकास कुमार पुत्र विनोद राम उम्र करीब 18 वर्ष साकिनान दिलमनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
5. साहिल कुमार पुत्र प्रदीप कुमार उम्र करीब 20 वर्ष।
6. अंकित कुमार पुत्र प्रमोद उम्र करीब 18 वर्ष निवासी गण साकिनान बड़ौराखुर्द थाना जहानागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम - थानाध्यक्ष जहानागंज अतुल कुमार मिश्र, उ0नि0 अभिषेक सिंह, हे0का0 दिनकर कुशवाहा, का0 प्रदीप यादव, का0 दुर्गादीन सरोज, का0 गिरिजेश शर्मा, का0 सर्वजीत पाठक, का0 अजीत यादव, रि0म0का0 अवन्तिका तिवारी थाना जहानागंज आजमगढ़।

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

24 घंटे के भीतर मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा, चोरी की बाइक सहित शातिर चोर गिरफ्तार

परसौली मोड़ से चोरी हुई मोटरसाइकिल बरामद, आरोपी संदीप तिवारी उर्फ पिंकू गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 31.05.2026 को वादी मुकदमा धर्मेन्द्र सरोज पुत्र सिकेन्दर सरोज ग्राम चौकी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बरदह पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 30-05-2026 को शाम करीब 05 बजे परसौली मोड़ पर अपनी मोटर साईकिल खड़ी करके सामान लेने चला गया जब वापस आया तो मोटर साईकिल नही थी काफी खोजबीन किया गया परन्तु नही मिली जिसके सम्बन्ध में थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 192/26 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण– आज दिनांक 01-06-2026 को उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव मय हमराह को सूचना मिली कि 01 व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल लेकर बेचने लिए जा रहा है। इस सूचना पर मय पुलिस बल द्वारा त्रिवेणी मोड़ से 01 मोटरसाइकिल के साथ संदीप तिवारी उर्फ पिंकु S/O रामनारायण तिवारी निवासी सरायमोहन PS बरदह जनपद आजमगढ को समय करीब 7:20 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- संदीप तिवारी उर्फ पिंकु S/O रामनारायण तिवारी निवासी सरायमोहन PS बरदह जनपद आजमगढ

बरामदगी- 01 मोटर साइकिल (चोरी की)

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 192/26 धारा 303(2) BNS थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव PS बरदह जनपद आजमगढ
2. का0 पंकज यादव PS बरदह जनपद आजमगढ
3. रि0का0 सोनू PS बरदह जनपद आजमगढ
4. रि0का0 अभिषेक PS बरदह जनपद आजमगढ

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़
हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
गम्भीरपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को भेजा न्यायालय

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गम्भीरपुर पुलिस को हत्या के एक चर्चित मुकदमे में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 19.05.2026 को वादी अनुज मोदनवाल पुत्र स्वर्गीय सूरज मोदनवाल निवासी ग्राम रानीपुर रजमो (बिन्द्रा बाजार), थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना गम्भीरपुर पर लिखित तहरीर दी गई थी कि दिनांक 18.05.2026 की रात्रि लगभग 10:30 बजे पड़ोसियों ने ताना मारने की बात को लेकर एक राय होकर उनके पिता सूरज मोदनवाल पर लाठी-डण्डा एवं लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया गया। गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।

जिसके आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 124/2026 धारा 105, 115(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

आज दिनांक 01.06.2026 को मुकदमे में वांछित अभियुक्त गोलू उर्फ रंजीत मोदनवाल पुत्र स्वर्गीय शिवलाल निवासी ग्राम रानीपुर रजमो (बिन्द्रा बाजार), थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ को विषहम मोड़ के पास से समय करीब 08:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मुकदमे से संबंधित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त- गोलू उर्फ रंजीत मोदनवाल पुत्र स्व0 शिवलाल निवासी ग्राम रानीपुर रजमो (बिन्द्रा बाजार) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-124/2026 धारा 105/115(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. का0 सर्वेश यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
3. रि0का0 अन्तेष पाण्डेय थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
4. रि0म0का0 अंजू जायसवाल थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

साइबर हेल्प डेस्क बरदह की तत्परता से पीड़ित को मिली राहत, ठगी के ₹20 हजार कराए गए वापस

व्हाट्सएप डीपी लगाकर हुई साइबर ठगी का सफल निस्तारण, पीड़ित के खाते में लौटाई गई पूरी धनराशि

जनपद आजमगढ़ के थाना बरदह क्षेत्रान्तर्गत निवासी मो० साकिब पुत्र आफताब आलम, निवासी नूआंवा, थाना बरदह के साथ दिनांक 20.01.2026 को साइबर अपराधियों द्वारा व्हाट्सएप पर उनके परिचित की डीपी (Display Picture) लगाकर विश्वास में लेते हुए ₹20,000/- की धोखाधड़ी कर ली गई थी।

घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा तत्काल एनसीआरपी (National Cyber Crime Reporting Portal) पर शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत प्राप्त होने पर साइबर हेल्प डेस्क थाना बरदह द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी गई धनराशि ₹20,000/- को संबंधित बैंक खाते में होल्ड कराया गया, जिससे धनराशि की निकासी रोकी जा सकी।

प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा० न्यायालय से प्राप्त **फंड रिलीज ऑर्डर** के अनुपालन में संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित किया गया। साइबर हेल्प डेस्क थाना बरदह की सतत एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप पीड़ित मो० साकिब के बैंक खाते में ठगी गई **सम्पूर्ण धनराशि ₹20,000/- सफलतापूर्वक वापस करा दी गई।**

धनराशि वापस प्राप्त होने पर पीड़ित एवं उसके परिजनों द्वारा आजमगढ़ पुलिस तथा साइबर हेल्प डेस्क थाना बरदह का आभार व्यक्त किया गया।

आजमगढ़ पुलिस जनपदवासियों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन अथवा एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते धनराशि को सुरक्षित कराया जा सके।

पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह थाना बरदह जनपद आजमगढ
2. उ नि0 मनीष सिंह थाना बरदह जनपद आजमगढ़0
3. म0आ0 आरती सिंह थानाबरदह जनपद आजमगढ-
4. रि0आ 0निखिल गुप्ता थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना कोतवाली जनपद आजमगढ

गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस को मिली सफलता

मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने दबोचा

मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं से दहशत फैलाने वाले गैंग पर पुलिस की कार्यवाही, 02 अभियुक्त किये गये गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण–

➡दिनांक 20-8-2025 को वादी मुकदमा राम सिंगार यादव s/o शंकर यादव सा0 तुर्क पड़री पो0 पतिलागोसपुर थाना-बिलरियागंज तहसील सगड़ी जि0 आजमगढ़ की मोटर साइकिल जिला चिकित्सालय से चोरी होने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 408/25 धारा 303(2) बीएनएस दि. 25.8.25 को दर्ज किया गया।

➡दिनांक 17-08-2025 को भैरव बाबा मंदिर महराजगंज से 01 मोटर साइकिल चोरी हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ मे मु.अ.सं.- 242/2025 धारा 303(2) BNS पंजीकृत किया गया ।

➡ भैरव बाबा स्थान महराजगंज से 01 मोटर साइकिल चोरी किया गया था जिसमें e-FIR संख्या 20250000619512 दर्ज कराया गया था।

➡ दिनांक 27.08.2025 को वादी मुकदमा आशीष पुत्र छोटेलाल ग्राम गौरी नरायनपुर थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ की बाइक भैरोनाथ मन्दिर महराजगंज नदी घाट से चोरी हो गया जिसके सम्बन्ध में थाना महराजगंज पर मु.अ.सं.- 243/2025 धारा 303(2) BNS पंजीकृत किया गया।

➡दिनांक 31.08.2025 को आवेदक सर्वेश पुत्र रामजस निवासी आशापार थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर की स्प्लैण्डर प्लस मोटरसाइकिल बाबा भैरवबाबा के स्थान से चोरी होने के सम्बन्ध में थाना महाराजगंज पर मु0अ0सं0-424/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

➡दिनांक 01.09.2025 को आवेदक आशीष पुत्र छोटेलाल निवासी गौरी नारायणपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ के स्प्लैण्डर प्लस मोटरसाइकिल UP50BN4665 के बाबा भैरवबाबा के स्थान से चोरी होने के सम्बन्ध में थाना महाराजगंज पर मु0अ0सं0- 244/25 धारा 303(2) बीएनएस दर्ज किया गया है।

उपरोक्त मुकदमों की विवेचना के दौरान अभियुक्तों 1- राजन राजभर पुत्र रामफेरू राजभर साकिन गढ़ कौशिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष 2- राजभर पुत्र सुदर्शन राजभर साकिन गढ़ कौशिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

उपरोक्त गैंग व उसके सदस्यों के कृत्यों से आम जनमानस में काफी भय व आंतक व्याप्त था। जिसके लिए उपरोक्त गैंग के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने के उद्देश्य से थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा गैंग चार्ट तैयार कर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय आजमगढ महोदय को रिपोर्ट प्रेषित किया गया।

जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय दिनांक 28.05.26 को अभियुक्तों 1- राजन राजभर पुत्र रामफेरू राजभर साकिन गढ़ कौशिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष 2- राजभर पुत्र सुदर्शन राजभर साकिन गढ़ कौशिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष विरूद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया।

दिनांक 01.06.26 को वादी मुकदमा प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय की तहरीर पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-261/26 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 बनाम 1. राजन राजभर पुत्र रामफेरू राजभर निवासी गढ़ कौशिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ 2. सचिन राजभर पुत्र सुदर्शन राजभर निवासी गढ़ कौशिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 01.06.2026 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1- राजन राजभर पुत्र रामफेरू राजभर निवासी गढ़ कौशिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ 2- सचिन राजभर पुत्र सुदर्शन राजभर निवासी गढ़ कौशिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को प्राइवेट बस स्टैंड से समय करीब 11.16 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0- 261/26 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.राजन राजभर पुत्र रामफेरू राजभर निवासी गढ़ कौशिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

2. सचिन राजभर पुत्र सुदर्शन राजभर निवासी गढ़ कौशिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास–

अभियुक्त राजन राजभर पुत्र रामफेरू राजभर निवासी गढ़ कौशिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

1.मु0अ0स0-408/25 धारा303(2)/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ

2. मु0अ0सं0433/25 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0स0- 434/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ

4. मु0अ0स0- 242/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

5. मु0अ0स0- 243/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

6. मु0अ0स0- 261/26 धारा 2ख(1)/3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

अभियुक्त सचिन राजभर पुत्र सुदर्शन राजभर निवासी गढ़ कौशिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

1.मु0अ0स0-408/25 धारा303(2)/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ

2. मु0अ0सं0433/25 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0स0- 435/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ

4. मु0अ0स0- 242/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

5. मु0अ0स0- 243/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

6. मु0अ0स0- 261/26 धारा 2ख(1)/3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 सूर्य पाल थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
3. रि0का0 दिलीप कुशवाहा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
4. रि0का0 रवि कुमार थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
5. रि0म0आ0 खुशबु सिंह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 01.06.2026
यातायात पुलिस, जनपद आजमगढ़

500 एनसीसी कैडेट्स को यातायात, साइबर, महिला एवं अग्नि सुरक्षा का दिया गया विशेष प्रशिक्षण

आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त जागरूकता पहल: युवाओं को सुरक्षा और जिम्मेदारी का पढ़ाया गया पाठ

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में आज दिनांक 01.06.2026 को सर्वोदय पब्लिक स्कूल (पुराना आरटीओ के पास), आजमगढ़ में एक वृहद जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यातायात पुलिस, फायर ब्रिगेड, साइबर सेल एवं मिशन शक्ति की संयुक्त टीम द्वारा लगभग 500 एनसीसी (NCC) कैडेट्स को विभिन्न सुरक्षा एवं जागरूकता संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण एवं महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई।

कार्यक्रम के दौरान यातायात पुलिस टीम ने सड़क सुरक्षा नियमों, ट्रैफिक सिग्नलों के महत्व, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग तथा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आवश्यक नियमों की विस्तृत जानकारी दी। कैडेट्स को बताया गया कि यातायात नियमों का पालन न केवल स्वयं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी है।

साइबर सेल की टीम द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, ओटीपी एवं बैंकिंग फ्रॉड से बचाव के उपायों के साथ-साथ सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग एवं साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मिशन शक्ति टीम ने छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा, उनके कानूनी अधिकारों तथा आपातकालीन सहायता नम्बर 1090 एवं 112 के महत्व को समझाया।

वहीं फायर ब्रिगेड टीम द्वारा आग लगने की स्थिति में बचाव के उपायों, अग्निशामक यंत्रों के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग तथा आपदा के समय बरती जाने वाली सावधानियों का लाइव डेमो प्रस्तुत किया गया, जिसे उपस्थित कैडेट्स ने बड़े उत्साह के साथ देखा और समझा।

कार्यक्रम के अंत में सभी एनसीसी कैडेट्स ने देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में यातायात नियमों का पालन करने, साइबर अपराधों के प्रति सजग रहने तथा समाज में सुरक्षा एवं जागरूकता का संदेश प्रसारित करने की शपथ ली।

इस अवसर पर विद्यालय प्रशासन, एनसीसी अधिकारी, संयुक्त पुलिस टीम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को विद्यार्थियों द्वारा अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक बताया गया।

प्रेस नोट, दिनांक- 01.06.2026

जनपद आजमगढ़

● परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण में एक परिवार का कराया गया सफल समझौता

● काउंसलिंग के माध्यम से पारिवारिक विवाद का कराया गया निस्तारण

आजमगढ़। परिवारों को टूटने से बचाने और आपसी विवादों को सुलह के माध्यम से समाप्त करने की दिशा में संचालित "नई किरण" परियोजना के तहत बुधवार को परिवार परामर्श प्रकोष्ठ में एक परिवार का सफल समझौता कराया गया। काउंसलिंग के बाद दोनों पक्ष आपसी सहमति से साथ रहने को तैयार हो गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 01.06.2026 को थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में कुल 04 पत्रावली में दोनों पक्षों को फोन/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मिडिएशन हेतु बुलाया गया, जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित हुए।

मिडिएशन के दौरान अथक प्रयास एवं समझाइश-बुझाइश के उपरान्त 01 प्रकरण में सफल समझौता कराया गया। प्रकरण में आवेदक की पत्नी आवेदक से नाराज होकर मायके चली गयी, विदाई हेतु जाने पर माता-पिता द्वारा विदाई न करने के सम्बन्ध में दोनों पक्षों की अलग-अलग एवं संयुक्त रूप से काउंसलिंग कर समस्या का समाधान कराया गया।

नई किरण प्रोजेक्ट जनपद में बिखरे परिवारों को पुनः एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास है। इस पहल से परिवारों में नई आशा एवं विश्वास का संचार होगा तथा पारिवारिक न्यायालयों में कार्यभार कम करने में भी सहायता मिलेगी।

इस पुनीत कार्य में उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ, उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी जितेन्द्र शाह एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह उपस्थित रहे।

कुल समझौते – 01

1. जितेन्द्र पुत्र रामरेखा, ग्राम-लखनूपुर, थाना-कप्तानगंज, जनपद-आजमगढ़ ।